न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-13/2017

1- बोदूराम पुत्र लादु
2- मन्नी बेवा चौथू
3- अमरसिंह पुत्र चौथू
4- ग्यारसीलाल पुत्र साधुराम
5- रामेश्वर पुत्र नानूराम
6- पूर्ण पुत्र नारायण
7- कमला बेवा रामस्वरूप
8- विक्रम पुत्र रामस्वरूप
9- अजय पुत्र रामस्वरूप
10-मूलीदेवी पत्नी सुरजाराम जाति हरिजन
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- मनोजकुमार पुत्र स्व0 बजरंगलाल
2- प्रकाश पुत्र स्व0 बजरंगलाल
3- सुवालाल पुत्र भगवानाराम जाति ब्राहम्ण
4- बनवारी पुत्र लादूराम जाति जाट
5- नाथ पुत्र0 दौलाराम जाति हरिजन
6- राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण
समस्त निवासी चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।
7- तहसीलदार तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

--रेस्पोडेन्टस्---

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 30-4-2002 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ।
---0---

उपस्थिति-

1-श्री सुखदेव सिंह महला एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री सोहनलाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 19.4.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणा रेकार्ड दुरूस्ती एवं तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 136 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 336 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, ख0नं0 337 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 339 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, ख0नं0 340 रकबा 1 बिस्वा, ख0नं0 341 रकबा 5 बीघा, ख0नं0 342 रकबा 3 बिस्वा, ख0नं0 343 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा कुल किता-8 रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम चला में स्थित है । ख0नं0 136 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा अलग से स्थित है तथा शेष भूमिया एक ही स्थान पर स्थित है । उक्त समस्त आराजी का राजस्व रेकार्ड वादीगण के पिता भगवाना पुत्र रामबक्स की व्यक्तिगत माफी में दर्ज है। उक्त आराजी में गुहाला से उदयपुरवाटी जाने वाली सडक बनाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आराजी ख0नं0 337 में से 1 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 339 में से 19 बिस्वा, ख0नं0 343 में से 15 बिस्वा कुल रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि अवाप्त कर ली। उक्त आराजी ख0नं0 341 में रकबा 4 बीघा एवं ख0नं0 336 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा वादीगण के पिता स्वर्गीय भगवाना ने काश्त हेतु प्रतिवादी सं0-1 से 4 के बुजर्ग नाथू पुत्र हुक्मा जाट को काश्त करने हेतु बंटाई पर दी थी । जिसमें नाथू पुत्र

हुक्मा ने चुप चाप अपना नाम दर्ज करवा लिया । जिससे दावा ~~सं०~~ की मद सं० -1 में दर्ज भूमि में नाथू पुत्र हुक्मा का 1/2 की भूमि पर दर्ज करवा लिया ।जिसकी जानकारी होने पर वादीगण ने नाथू पुत्र हुक्मा एवं स्व० लादू पुत्र चौथू को आपत्ति की तो इन्होने आश्वासन करते रहे किन्तु बंटाई पर काश्त करने से इन पर कोई असर नहीं पड़ा ।विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा वादीगण, 1/4 हिस्से के प्रतिवादी सं०-1 व 2 एवं शेष 1/4 हिस्से के प्रतिवादी सं०- 3 से 4 की खातेदारी में रही है ।ख०सं० 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343कुल किता-7 रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा में सडक निकल जाने से 13 बीघा 6 बिस्वा का ही शेष रह गया । ख०नं० 340 रकबा 1 बिस्वा वादीगण के श्मशान है जो श्मशान पुरोहितान के नाम से जाना जाता है ।जिसमें वादीगण के बुजर्गाना का दाह संस्कार किया गया है। ख०नं० 340 में प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है ।वादीगण को प्रतिवादी ने रेकार्ड दुरूस्त कराने से मना कर दिया जिस पर वादीगण ने यह दावा पेश किया जिस पर अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादीगण का दावा स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने विवादित आराजी की मौका एंव कब्जे की रिपोर्ट लिये बिना आदेश पारित किया है जो विधि एवं कानून के विपरित है। अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व प्रतिवादी के जबाब दावा एवं प्रस्तु राजस्व रेकार्ड का बिना अवलोकन किये अपना आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-4-2002 को एकतरफा पारित किया है । जिसके सन्दर्भ में रेस्पोडेन्ट सं०-1 से 3 ने अपीलान्ट को कुछ भी जानकारी नहीं होने दी काफी समय निकल जाने के बाद रेस्पोडेन्ट ने आपसी साजिश पूर्ण तरीके से उक्त निर्णय एवं डिक्री को आधार बनाकर दिनांक 26-12-2016 को अपीलान्ट के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ख०नं० 341 जिसमें वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी में 1.15 हैक्टर भूमि कब्जे काश्त में है जिसमें 2 बिस्वा भूमि और प्राप्त करने हेतु उक्त डिक्री को आधार बनाकर अपीलान्ट के कब्जे की भूमि में से 2 बिस्वा

भूमि ओर रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 3 के नाम करने बाबत ख0नं0 341 में से रकबा 11 बिस्वा भूमि ही सदैव कब्जे काश्त एवं हक अधिकार में रही है। जिसमें अना-धिकृत रूप से 2 बिस्वा भूमि प्राप्त करने की मंशा से गलत रूप से उक्त डिक्री को आधार बनाकर 2 बिस्वा भूमि को प्राप्त करने के आदेश प्राप्त किये हैं । जिसमें पारित निर्णय एवं डिक्री एवं इजराय दिनांक 26-12-16 अपास्त किये जाने योग्य है ।अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है । अपीलान्ट को वादीगण ने मुगालते में रखकर उक्त निर्णय एवं डिक्री प्राप्त की है । वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्टस् से कह दिया कि हमने हमारा दावा विड्रा कर लिया तथा अभियान में आपसी सहमति से ही खातों कु दुरूस्त करवायेगें । इस बात पर अपीलान्ट ने विश्वास कर लिया और दावे में आगे कोई ध्यान नहीं दिया । जिसके कारण रेस्पोडेन्ट ने दावा एकतरफा डिक्री करवा लिया । विवादित आराजी मौके पर भौतिक रूप से नये खसरा नं0 484, 486, 487, 468, 470, 489, 490, 491, 492, 469 राजस्व रेकार्ड में दर्ज चले आ रहे हैं । जिसमें पक्षकार अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त-ए-कार चले आ रहे हैं । दिनांक 26-12-2016 को पुराने ख0नं0 341 में से 2 बिस्वा और रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 3 के पक्ष में नया आदेश पारित करवाकर अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि को हडपने एवं अपीलान्ट के कब्जे काश्त की भूमि से उन्हे बेदखल करने की मंशा से दिनांक 31-12-2016 को अपीलान्ट को उसके हिस्से की भूमि पर जाकर धमकी दी तथा इस आराजी से बेदखल करने पर आमादा हो गये । जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री एवं इजराय का आदेश दिनांक 26-12-2016 को अपास्त किया जावे ।

अपील ~~का~~ दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली ~~किया~~ की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण जरिये वकील हाजिर हाये तथा प्रतिवादी सं0 1 से 3 एवं 5 से 11 ने जबाब दावा पेश किया ।जबाब दावा पेश होने पर अदालत मातहत ने कुल 6 तनकीयात कायम की है ।अदालत मातहत ने प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति दर्ज कर एकतरफा कार्यवाही करते हुये वादीगण को एकपक्षीय सुनते हुये आदेश पारित किया है। जब अदालत मातहत के पास प्रतिवादीगण का जबाब दावा आ चुका तथा उस पर तनकीयात बनाई जा चुकी है ।किन्तु अदालत मातहत ने अपने निर्णय में न तो जबाब दावे का विवेचन किया और न ही बनाई गई एक भी तनकी का निर्णय किया है। जबकि कानूनन आदेश-20 नियम-5 सी पी0सी0 के अनुसार प्रत्येक तनकी का निर्णय करते हुये अपना निर्णय पारित किया जाना चाहिऐ ।अदालत मातहत ने दावे में तनकीयात कायम की है किन्तु प्रतिवादीगण के हाजिर नहीं आने पर तनकीयात का निर्णय न कर आदेश पारित किया है जो आदेश-20 नियम-5 सीपीसी के प्रावधानों के विपरित है। प्रकरण अदालत मातहत को अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये अपना निर्णय तनकीवाईज पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-4-2002 एवं इजराय के लिये पारित आदेश दिनांक 26-12-2016 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये अपना निर्णय आदेश-20 नियम-5 सीपीसी के अनुसार तनकीवाईज पारित करें ।पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 31-5-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 19.4.2018 को सुनाया गया ।

19/4/18

(शंकरलाल मिहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर